

कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

संख्या- गंगा एक्सप्रेसवे/वन विभाग/2021

दिनांक 06 अगस्त 2021

आदेश

शासनादेश संख्या 68/3-2(6)-1979-10-1 दिनांक 05.09.1986 को आशिरस परीक्षण करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी का प्रयोग करते हुए मैं राजन कुमार, आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ सूची में उल्लिखित ग्राम सभा के प्रबंधन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। नीचे अनुसूची के स्तम्भ-6 व 7 में अंकित भूमि को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य क्षेत्रफल की गैर वन भूमि को प्रदान करने हेतु उ0प्र0 शासन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ के निवेदन पर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 2596/77 3-20-21एम/19 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 में निहित व्यवस्थानुसार निःशुल्क पुर्नग्रहण की जाती है।

क्रमांक	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0ग)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति
1	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	530	14500	नवीन परती
2	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	531	15800	नवीन परती
3	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	532	03300	नवीन परती
4	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	533	04800	नवीन परती
5	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	534	01700	नवीन परती
6	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	535	22200	नवीन परती
7	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	536	02500	नवीन परती
8	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	537	07100	नवीन परती
9	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	540	16000	नवीन परती
10	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	541	0500	नवीन परती
11	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	542	05100	नवीन परती
12	उन्नाव	सफीपुर	सफीपुर	रूपपुर चन्देला एह0	543	21920	नवीन परती
कुल योग					12 किता	15.9620	

(रजन कुमार)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीइए), लखनऊ।
- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ।
- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
- जिलाधिकारी, उन्नाव को उनके पत्र संख्या- 1 / डी0एस0आर0सी0/वन विभाग/2021 दिनांक 06.08.2021 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर, तहसील भवन व सम्बन्धित गांव में किसी सहजदृश्य स्थान पर चरपा कराये तथा प्रत्येक स्थान पर एक आदेश की चरपा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या शासन के सम्बन्धित विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराये। यह भी अभिलेखित है कि शासकीय अधिसूचना संख्या-744(1)/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-2596/77-3-20-21एम/19 दिनांक 26.11.2020 के समय रागध पर जारी नियमों/शासनादेशों के अनुसार उक्तानुसार ग्राम सभा रूपपुर चन्देला एह0 की उक्त भूमि कुल रकबा 15.962 हे0 निःशुल्क पुर्नग्रहीत की गई है तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीइए के पत्र संख्या-1304/1632/यूपीइए/21 दिनांक 22.06.2021 के आलाप में तदनुसार उक्त भूमि का भू अभिलेखी ग गामान्तरण एवं कब्जा इस्तान्तरण किया जाये एवं उक्त कार्यवाही से राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन लखनऊ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनुभाग 3 उ0प्र0 शासन लखनऊ व राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ को सूचित किया जाये।

6 गाटा कईतां उछु।

(अरुण कुमार राय)
जिटी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीइए, लखनऊ

(रवि विजय राय)
अपर आयुक्त (प्रशासन)
लखनऊ मण्डल लखनऊ

शेड़ी - 5-1/ वृ. वि. योग्य भूमि
जिम्न.....

षट् वार्षिक खितौनी

इन्तखाब खितौनी

ग्राम-सुपुर्चन्देला एटमाली परगना

जिला

14-23 फरवरी 14-28 फरवरी
सन फ-13 से सन फ-13 तक

1	2	3	4	5	6	परिवर्तन सम्बन्धी क्र आजा सारांश तथा दिनांक आजा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो का पंचायती अदालत द्वारा स्वीकृत हुए						13
						सन्	फ.	सन्	फ.	सन्	फ.	
4-19	नतीन परती (सुपुर्चन्देला)		530 1.4500 531 1.5800 532 0.3300 533 0.4600 534 0.1700 535 2.2200 536 0.2500 537 0.7100 540 4.6000 541 1.5000 542 0.5000 543 6.7900 51 कि. 122.6280			आदेशानुसार सपर आभुस प्रशासन मण्डल लखनऊ पत्रांक, सं० 4252/गंगा एक्सप्रेसवे / वन विभाग/2021/68-41 (2020-21) दिनांक 09 सितम्बर 2021, शासनादेश सं० 68/3-2(2) -1979 ज०-1 दिनांक 05.09.1986 का अंशिक, परिपकार करते हुये और उ० प्र० राज्य संहिता -2006 (30 प्र०) अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) और उ० प्र० राज्य संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्ताधिकार का प्रयोग करते तथा शासकीय अधिभूतना सं०-28/741 /एव-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या -32/744/एव -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी का प्रयोग करते- हुये नीचे अनुसूची के खण्ड-6 व 7 में वर्णित भूमिको गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य क्षेत्रफल की गैर वन भूमिको खदान करते हुये उ० प्र० शासन, अथवा पना एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ के निर्देश पर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 2598/77-3-20-21 एम/19 दिनांक 26 नवम्बर 2020 में निहित व्यवस्थानुसार निःशुल्क प्रत्यक्षता की जाती है। क० जिला तहसील परगना ग्राम गारास० क्षेत्रफल (है०) भूमिकी शेड़ी						
1	3 न्ताव	सफीपुर	सफीपुर	सुपुर्चन्देला एटमाली	530 1.4500 531 1.5800 532 0.3300 533 0.4600 534 0.1700 535 2.2200 536 0.2500 537 0.7100 540 4.6000 541 1.5000 542 0.5000 543 6.7900 51 कि. 122.6280							नतीन परती

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
पूरीबा, लखनऊ

ग्राम _____ परगना _____ जिला _____ सन् ५-१३ से सन् ५-१३ तक

[illegible]

39

417
न. परत)

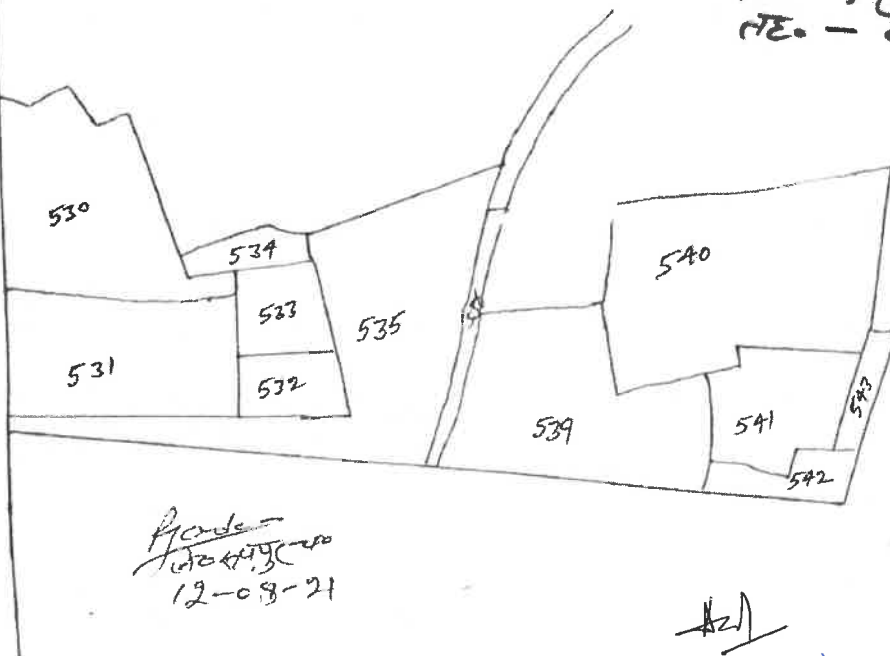
4.21
15/10/11

पीएसओ/००१०-ए०पा० ०१२ राज्यत्व परिषद-१-२-२०१७-(१७८८)-५,००,००० पश्चिमा-(आयुक्त)



वन विभाग को दी गयी भूमि
का गजरी नक्सा

ग्राम-रूपपुर-धन्नेलासहत.
तह. - सणीपुर, उन्नाव



रूपपुर-
12-08-21

(अनुराग कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडी, लखनऊ